यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय **प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय, थलीसैण (पौड़ी गढ़वाल)** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया गया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय **प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय, थलीसैण (पौड़ी गढ़वाल)** के माह 12.2013 से 11.2017 के लेखा-अभिलेखों की लेखापरीक्षा पर आधारित निरीक्षण प्रतिवेदन श्री पवन कुमार, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी, तथा श्री राजकुमार , लेखापरीक्षक द्वारा श्री पुष्कर, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पूर्ण पर्यवेक्षण में दिनांक 01.12.2017 से 06.12.2017 तक सम्पादित की गयी।

<u>भाग</u>- I

1). परिचयात्मकः इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री वी° पी° सिंह, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी एवं श्री रामवीर सिंह, पर्यवेक्षक द्वारा दिनांक 09.12.2013 से 13.12.2013 तक श्री आई° के° जुयाल, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के आंशिक पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी थी। जिसमें माह 08.2001 से 11.2013 तक के लेखा-अभिलेखों की जांच की गयी थी।

2). (i). इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः राजकीय महाविद्यालय थलीसैंण पौड़ी गढ़वाल की स्थापना शासनादेश 2771/मा.स.वि. दिनांक 10 अगस्त 2001 के अनुसार 15 गस्त 2001 को की गयी। महाविद्यालय में वर्तमान में कला एवं विज्ञान संकाय में 249 विद्यार्थी शिक्षारत् हैं। महाविद्यालयों में भविष्य में स्नातकोत्तर कक्षाएं चलाए जाने हेतु प्रयास किये जा रहे हैं। महाविद्यालय 10 किलोमीटर परिधि क्षेत्र में स्नातक स्तर की शिक्षा प्रदान कराने वाला एक मात्र महाविद्यालय है।

महाविद्यालय की भौगोलिक स्थितिः- 1. महाविद्यालय के अंतर्गत विकास खण्ड का नाम- थैलीसैंण

2. विकास खण्ड का निकटतम रेलवे स्टेशन- रामनगर

3.महाविद्यालय की राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थिति- NH 121

4. महाविद्यालय से जुड़े हुए गाँव- जखोला, रण्डोला, कैन्यूर, रौली, बगवाड़ी, ब्यासी, पातल, कुणेथ, रणगांव, सुन्दर, ऐंठी, पलाण, मैरवा, कफल्ड, मुसेठी, कपरोली, जल्लू, हस्यूडी, ग्वारी, पफडियाणा, गंगाउ, भीड़ा, जिवई, सुखई, बैजरों, जसुपरखाल, कोटा, भण्डोली, मंझगाऊ, गुडिण्डा, बीरोंखाल, डुमैला आदि।

ii). (अ). विगत वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

(रु लाख में)

क्रम संख्या	वित्तीय वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना (01,03,06)		आधिक्य (+)	बचत (-)	गैर स्थापना		आधिक्य (+)	बचत (-)
		स्थापना	गैर-स्थापना	आवंटन	व्यय			आवंटन	व्यय		
1	2014-15	शून्य	शून्य	45.90	39.01	-	6.89	3.31	2.96	-	0.35
2	2015-16	शून्य	शून्य	39.80	32.39	-	7.41	2.98	2.85	-	0.13
3	2016-17	शून्य	शून्य	66.15	60.26	-	5.89	12.92	11.27	-	1.65
4	2017-18 (11/17)	शून्य	शून्य	46.70	44.99	-	1.71	4.36	3.45	-	0.91

(ब). Autonomous Bodies की इकाइयों के विगत तीन वर्षो में बजट आवंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैं:

लागू नही

(स). केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः

(रु लाख में)

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक आवशेष	वर्ष के दौरान प्राप्ति(आवंटन)	विविध प्राप्तियाँ (ब्याज आदि)	कुल प्राप्ति	व्यय	आधिक्य (+)	बचत (-)
2014-15	रूसा	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
2015-16	रूसा	शून्य	112.46	---	112.46	80.29	--	32.17
2016-17	रूसा	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
2017-18 (11/2017)	रूसा	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

iii). इकाई को बजट आवंटन राज्य योजना (अनुदान संख्या 11 के अंतर्गत, निदेशक उच्च शिक्षा निदेशक, हल्द्वानी) द्वारा किया जाता है। गैर-स्थापना व्यय को सम्मिलित करते हुए इकाई 'C' श्रेणी की है।

विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः-

a). सचिव, उच्च शिक्षा, उत्तराखंड, देहरादून

b). उच्च शिक्षा निदेशालय, हल्द्वानी

c). उच्च शिक्षा निदेशक, हल्द्वानी

d). प्राचार्य, रा. महाविध्यालय, थलीसैण, पौड़ी, गढ़वाल

iv). लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः वर्तमान लेखापरीक्षा 12.2013 से 11.2017 तक की अवधि को आच्छादित करते हुए कार्यालय **प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय, थलीसैण, पौड़ी गढ़वाल** के लेखा-अभिलेखों की नमूना जांच के आधार पर की गयी। यह निरीक्षण प्रतिवेदन **कार्यालय प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय, थलीसैण, पौड़ी गढ़वाल** की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह 03.2016 एवं 03.2017 को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया । प्रतिचयन अधिकतम व्यय के आधार पर किया गया।

v). लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद- 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 (डी.पी.सी. एक्ट, 1971) की धारा 13; लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

<u>भाग-दो(ब)</u>

प्रस्तर-1- समन्वय की कमी के कारण रु. 140.00 लाख का कार्य अनुबंधित समय सीमा में पूरा नहीं कराये जाने का प्रकरण पाया जाना।

कार्यालय प्राचार्या राजकीय महाविद्यालय थालीसैंण की वृहद निर्माण कार्य पत्रावली की जांच में पाया गया कि शासनादेश सं. 420/XXIV(7)/2016-82(2)/15 दिनांक 16.08.2016 द्वारा रूसा के तहत नवनिर्माण तथा उच्चीकरण के लिए कार्यदायी संस्था नेशनल प्रोजेक्ट कन्स्ट्रक्शन कॉरपोरेशन लि. को उपलब्ध अभिलेख 2017 जुलाई के अनुसार स्वीकृत लागत रु. 140.00 लाख के सापेक्ष जारी धनराशि रु. 65.70 लाख के तहत कार्य की भौतिक प्रगति 46.93% पायी गयी। MOU के अनुसार कार्यदायी संस्था ने दिसम्बर, 2015 में कार्य प्रारम्भ कर दी, जिसे पूर्ण कर जुलाई 2017 में ग्राहक विभाग को हस्तगत किया जाना था। विलम्बता का क्या कारण रहा, इस संबंध में इकाई अभिलेख उपलब्ध कराने में असफल रही। रूसा गाईडलाइन्स के विपरीत इकाई निर्माण एजेंसी से अद्यतन वित्तीय भौतिक प्रगति रिपोर्ट भी लेखापरीक्षा में सुनिश्चित नहीं करा सकी। तथा प्रथम किश्त का बिना पूर्ण उपभोग किये कार्यदायी संस्था को द्वितीय किश्त भी जारी कर दी गयी।

इस संबंध में पूछे जाने पर इकाई द्वारा उत्तर दिया गया कि अनुबंध का अनुपालन में किस पक्ष से चूक हुई है, इसकी जांच पड़ताल करने के पश्चात वास्तविक स्थिति की जानकारी आख्या में प्रस्तुत की जायेगी।

उत्तर संतोषजनक नहीं पाया गया, यदि इकाई का समन्वय निर्माण एजेंसी से रहती तो वह विलम्बता के कारण बताने तथा अद्यतन अभिलेख लेखापरीक्षा में प्रस्तुत करने में सफल रहती। फलतः अनुबंध का पालन न कर कार्य समय से पूरा नहीं कराया जा सका।

अतः प्रकरण उच्चाधिकारी के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-दो(ब)

प्रस्तर-2- दिशानिर्देशों का उल्लंघन कर रु. 24.68 लाख क्रय का प्रकरण पाया जाना।

रुसा परियोजना निदेशालय के पत्रांक 1056(70)/रुसा/2016-17 दिनांक 5 सितम्बर 2016 के बिन्दु सं. 4 के अनुसार व्यय करने से पूर्व उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2008 के उपबन्धों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाना अनिवार्य है।

उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में कार्यालय प्राचार्या, राजकीय महाविद्यालय थलीसैंण (पौड़ी गढ़वाल) की वित्तीय वर्ष 2015-16 में विद्यालय में नई सुविधायें हेतु रूसा के अंतर्गत शासन द्वारा रु. 24.68 लाख जारी की गयी जिसके सापेक्ष समस्त राशि Books/Journals, sports goods तथा Furniture पर व्यय किया जाना पाया गया। इस संबंध में गठित क्रय समिति में नियम संगत वित्त के जानकार सदस्य को शामिल नही किया गया। प्रोक्योंरमेंट रुल के अनुसार व्यापक परिचालन वाले प्रकाशनों के माध्यम से प्रतिस्पर्धा दर प्राप्त करने के लिए निविदा/कोटेशन की कार्यवाही पूरी नहीं की गयी तथा समिति द्वारा नियम संगत इस आशय का प्रमाण पत्र कि जिस सामग्री के क्रय की संस्तुति की गयी, यह अपेक्षित विशिष्टताओं और गुणवत्ता वाली थी, उसका मूल्य वर्तमान बाजार दर के अनुसार है विषयक प्रमाण पत्र कार्यालयाध्यक्ष को प्रस्तुत नहीं किया जाना पाया गया।

इस संबंध में पूछे जाने पर इकाई द्वारा उत्तर दिया गया कि तत्कालीन नोडल ऑफिसर के निधन होने के कारण प्रक्रिया अनुपालन में चूक हुयी है।

उत्तर संतोषजनक नहीं पाया गया, क्योंकि अधिप्राप्ति नियमावली के तहत क्रय प्रक्रिया अपनायी जाती तो वह शासकीय हित में मितव्ययी तथा गुणवत्ता की सुनिश्चिता होती।

अतः क्रय प्रक्रिया में नियमों का अनुपालन नहीं किये जाने का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-2: (ब)

प्रस्तर सं. 0 3- शासनादेश का उल्लंघन करते हुये छात्रनिधि खातो से रु 4,45,122/- का अनयमित व्यय किया जाना।

शासनादेश संख्या 5125/15-11-86-4ए/45/85, दिनांक 10 जुलाई 1986 के अनुसार राजकीय महाविद्यालय मे छात्रों से ली जाने वाली विभिन्न छात्रनिधियों संबन्धित शुल्क के रखरखाव एवं उपयोग संबन्धित नियम/ मार्ग दर्शन बनाए गए है जिसके प्रमुख बिन्दु निम्नवत है:-

1.छात्र कोषो के लिए परामर्शदात्री समिति बनाई जाएगी जिसमे छात्रों का प्रतिनिधित्व 50 प्रतिशत होगा। यह समिति संबन्धित कोष के लिए प्राप्त धनराशि के व्यय हेतु प्राचार्य को परामर्श देगी, जिसके अनुसार छात्र कोष का उपयोग किया जाएगा।

2. छात्र कोष से विकास कोष अथवा अनुरक्षण कोष हेतु कोई ऋण नही लिया जाएगा और यह राशि उसी मद पर व्यय की जाएगी जिसके लिए वसूल की गयी है।

3. यदि किन्ही कारणो से किसी छात्र कोष मे बचत हो जाती है और यह बचत तीन वर्ष तक बची रहती है तो उस कोष की समिति उस बचत को अन्य छात्र कल्याणकारी कार्यो मे व्यय करने हेतु प्रस्ताव पारित कर सकती है जिस पर कालेज की प्रबंध समिति के अनुपोदरांत शिक्षा निदेशक, उच्च शिक्षा अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी की अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य है।

कार्यालय **प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय, थलीसैण, पौड़ी, गढ़वाल** के छात्रनिधियों संबन्धित अभिलेखो की जांच के उपरान्त पाया गया कि महाविद्यालय द्वारा विभिन्न प्रकार की छात्रनिधियों का संचालन किया गया तथा सभी छात्रनिधियों हेतु प्रथक-प्रथक बैंक खाते खोले गए। छात्रनिधियों हेतु कुल 12 बैंक खाते खोले गए है, जिसकी जांच के उपरान्त यह पाया गया महाविद्यालय द्वारा समय समय पर वर्ष 2014-15 से 2017-18 के दौरान कुल रु4,45,122/- धनराशि का आहरण बिना परामर्श समिति के अनुमोदन /प्रस्ताव के किया गया। महाविद्यालय स्तर पर कोई परामर्श समिति का गठन नही किया और न ही छात्रनिधियों से व्यय किए जाने पूर्व कोई अनुमोदन / प्रस्ताव पारित कर अनुमति ली गयी थी। संबन्धित छात्रनिधियों की पंजिकायो मे किए गए व्यय का विवरण नही पाया गया अर्थात पंजिकायो मे मात्र छात्रों से प्राप्त शुल्क कि प्रविष्ठी कि गयी थी, महाविद्यालय मे संचालित विभिन्न छात्रनिधियों से समय-समय पर अहरित की गयी धनराशियों का प्रयोजन/उद्देश्य पंजिकायो मे अंकित नही पाया गया ओर न ही संबन्धित छात्रनिधियों से निकली गयी धनराशि का समायोजन किया गया था, जिस कारण महाविद्यालय उक्त धनराशि को प्रयोजन/समायोजन कि स्थिति बताने मे असमर्थ पाया गया। छात्रनिधियों से किए गए व्यय के संबन्धित साक्ष्य भी लेखापरीक्षा को उपलब्ध नही कराये गए।

छात्रनिधियों से किए गए व्यय का विवरण निम्न है:-

छात्रनिधि	दिनांक	अहरित धनराशि	छात्रनिधि	दिनांक	अहरित धनराशि
वाचनालय	22.05.15	30000	विददुत	22.05.15	15000
वाचनालय	28.01.16	30000	विददुत	10.06.15	50000
वाचनालय	01.03.17	22950	विददुत	15.06.15	11750
छात्रसंघ	02.09.14	2000	विददुत	02.06.16	1800
छात्रसंघ	17.11.14	6000	क्रीडा	28.10.14	2000
छात्रसंघ	08.04.15	20000	क्रीडा	18.11.14	337
छात्रसंघ	12.08.15	8000	क्रीडा	18.11.14	337
परिचय पत्र	01.10.14	30000	क्रीडा	18.11.14	8435
परिचय पत्र	01.10.14	1000	क्रीडा	27.02.15	4320
परिचय पत्र	01.10.14	7740	क्रीडा	28.02.15	10000
छात्र परिषद	02.09.13	370	क्रीडा	12.03.15	11445
छात्र परिषद	04.10.13	340	क्रीडा	29.04.15	42408
छात्र परिषद	21.08.14	240	क्रीडा	15.06.15	2000
महा° विकास	14.03.14	5880	क्रीडा	12.08.15	2000
महा° विकास	28.04.15	2470	क्रीडा	26.08.15	34690
महा° विकास	01.12.14	5000	क्रीडा	26.08.15	510
महा° विकास	09.12.14	13070	क्रीडा	26.08.15	10000
महा° विकास	02.06.16	1688	क्रीडा	23.09.15	3000
महा° विकास	05.08.16	675	क्रीडा	18.11.15	15000
महा° विकास	12.09.16	6696			
महा° विकास	25.09.16	3000			
महा° विकास	06.01.17	2013			
महा° विकास	06.01.17	15000			
महा° विकास	13.09.17	1000			
महा° विकास	21.09.17	296			
महा° विकास	26.09.17	1500			
महा° विकास	27.09.17	3162			
महायोग 4,45,122/-					

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर इकाई ने अपने उत्तर मे बताया है कि नगद बही मे संबन्धित प्रयोजन वर्णित नहीं होने के कारण सूचना प्रस्तुत नही की जा सकी तथा व्यय के संदर्भ मे बताया कि महाविद्यालय मे समय- समय पर छात्रों के लिए क्रियाकलाप चलाये जाते है जिस हेतु उनसे संबन्धित निधियो से व्यय किया जाता है। भविष्य मे लेखापरीक्षा द्वारा बताए गए निर्देशों के अनुसार केश बुक बनायी जाएगी जिसमे व्यय का प्रयोजन, दिनांक आदि दर्शाया जाएगा एवं भविष्य के लिए नोट किया जाता है।

इकाई का उत्तर मान्य नही है क्योकि छात्र निधियो की धनराशि का उपयोग छात्र कल्याणकारी कार्यो हेतु किया जाना अनिवार्य था, जिससे संबन्धित साक्ष्य लेखापरीक्षा को उपलब्ध नही कराये गए और न ही महाविद्यालय द्वारा संबन्धित छात्रनिधियों के प्रारम्भिक अभिलेखो का रखरखाव ठीक ढंग से किया गया अर्थात महाविद्यालय द्वारा छात्रनिधियों कि धनराशि को मनमाने ढंग से व्यय किया गया।

अतः छात्रनिधि खातो से धनराशि रु 4,45,122/- का अनियमित व्यय किए जाने का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान मे लाया जाता है।

STAN

प्रस्तर 01- शासनादेश का उल्लंघन करते हुये काशनमनी रु 63,300/- छात्रों से लिया जाने एवं रु 1,25,350/- का अनियमित आहरण तथा धनराशि रु 81,424/- का अक्रियशील पाया जाना।

शासनादेश संख्या 5125/15-11-86-4ए/45/85, दिनांक 10 जुलाई 1986 के अनुसार राजकीय महाविद्यालय मे छात्रों से ली जाने वाली काशनमनी/ प्रतिभूति शुल्क के रखरखाव एवं उपयोग संबन्धित नियम/ मार्ग दर्शन बनाए गए है जिसके प्रमुख बिन्दु निम्नवत है:-

1. यदि कोई छात्र महाविद्यालय छोडने के 03 वर्ष पश्चात तक अपनी काशन मनी वापस लेने का आवेदन पत्र नही देता है तो यह राशि व्यप्त (लेप्स) कर दी जाएगी।
2. छात्र कोषो के लिए परामर्शदात्री समिति बनाई जाएगी जिसमे छात्रों का प्रतिनिधित्व 50 प्रतिशत होगा। यह समिति संबन्धित कोष के लिए प्राप्त धनराशि के व्यय हेतु प्राचार्य को परामर्श देगी, जिसके अनुसार छात्र कोष का उपयोग किया जाएगा।
3. छात्र कोष से विकास कोष अथवा अनुरक्षण कोष हेतु कोई ऋण नही लिया जाएगा और यह राशि उसी मद पर व्यय की जाएगी जिसके लिए वसूल की गयी है।
4. यदि किन्ही कारणो से किसी छात्र कोष मे बचत हो जाती है और यह बचत तीन वर्ष तक बची रहती है तो उस कोष की समिति उस बचत को अन्य छात्र कल्याणकारी कार्यो मे व्यय करने हेतु प्रस्ताव पारित कर सकती है जिस पर कालेज की प्रबंध समिति के अनुपोदरांत शिक्षा निदेशक, उच्च शिक्षा अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी की अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य है।

कार्यालय प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय, थलीसैण, पौड़ी गढ़वाल के काशनमनी/प्रतिभूति शुल्क संबन्धित अभिलेखो कि जांच मे निम्न विसंगतिया/ अनियमिता पायी गयी।

प्रकरण-1:- महाविद्यालय द्वारा विगत वर्षो मे छात्रों से ली जाने वाली प्रतिभूति स्वरूप काशनमनी की धनराशि बैंक खाता संख्या 11706223991 मे जिसका अंतिम अवशेष रु 81,424/- पाया गया, विगत कई वर्षो मे छात्रों द्वारा वापस नही ली गयी थी और न ही इसकी मांग छात्रों द्वारा की गयी है जिस कारण उक्त धनराशि कई वर्षो से खातो मे अक्रियशील पड़ी हुई है।

प्रकरण-2:- काशनमनी खाता से महाविद्यालय द्वारा भिन्न-भिन्न प्रयोजन हेतु समय समय पर बिना समिति के प्रस्ताव पारित/ प्रबंधन समिति के अनुमोदनपरांत शिक्षा निदेशक, उच्च शिक्षा के अनुमति प्राप्त किए बिना, धनराशि का आहरण किया गया है जिसका विवरण निम्नवत है:-

क्र°स°	आहरित धनराशि	दिनांक
1	20,000	20.09.14
2	5000	27.09.14
3	40000	01.10.14
4	25350	17.04.15
5	35000	21.01.16

उक्त तालिका से स्पष्ट है काशनमनी खाता से उक्त शासनादेश के विपरीत रु 1,25,350/- का आहरण किया गया था तथा अहरीत धनराशि का समायोजन लेखापरीक्षा तिथि तक संबन्धित खाता मे नही किया गया था। काशनमनी पंजिका मे यह भी देखा गया कि छात्रों से काशनमनी हेतु शुल्क वर्ष दर वर्ष लिया जा रहा था जिसकी प्रविष्ठी पंजिका मे कि गयी परंतु खाता से नियमित रूप से आहरण धनराशि कि प्रविष्ठी एवं आहरण किए जाने के प्रयोजन का वर्णन नही किया जा रहा था तथा वर्ष 2015-16 के बाद से छात्रों से लिए गए काशनमनी को संबन्धित खातो मे जमा नही किया गया।

प्रकरण-3:- संबन्धित पंजिका/ अभिलेखो यह भी पाया गया कि महाविद्यालय द्वारा शिक्षा सत्र 2017-18 हेतु रु 150 प्रति छात्र कि दर से छात्रों से कुल रु 63,300/- कि धनराशि काशनमनी के रूप मे ली जा रही थी और उक्त धनराशि को काशनमनी खाता मे जमा नही किया गया और न ही संबन्धित साक्ष्य से लेखापरीक्षा को अवगत कराया गया जबकि उच्च शिक्षा निदेशालय, हल्द्वानी के पत्रांक संख्या: डिग्री सेवा/ नि° का°/ 4751-4850/2017-18(पी.एस°), दिनांक 24.06.2017 के तहत यह निर्णय/निर्धारित लिया गया था कि महाविद्यालयो मे सत्र 2017-18 हेतु छात्रों से कोई काशनमनी नही ली जाएगी। अतः शासनादेश का उल्लंघन करते हुए धनराशि रु 63,300/- छात्रों से ली गयी।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर विभाग द्वारा तथ्यो एवं आकड़ों की पुष्टि करते हुए अपने उत्तर मे बताया है कि

प्रकरण-1:- "कोई आवेदन प्राप्त नही हुआ तथा संबन्धित धनराशि खातो मे विगत वर्षो से पड़ी है"।

प्रकरण-2:- "नकद पंजिका मे व्यय का प्रयोजन भविष्य के लिय दर्शाया जाएगा तथा धनराशि के आहरण एवं परामर्श समिति के अनुमोदन के संदर्भ मे इकाई द्वारा भविष्य के लिय नोट किया जाता है"।

प्रकरण-3:- " तुलनात्मक मिलान करने के पश्चात सुधार किया जाएगा तथा संबन्धित धनराशि को छात्र हित हेतु व्यय किया जाएगा तथा इकाई द्वारा भविष्य के लिय नोट किया जाता है"।

इकाई का उत्तर मान्य नही है क्योकि काशनमनी/ प्रतिभूति कि राशि छात्रों कि है जिसे अन्य प्रयोजन पर व्यय किए जाने हेतु नियम संगत शिक्षा निदेशक, उच्च शिक्षा से प्रत्येक अवसर पर अनुमति प्राप्त किया जाना चाहिय था तथा अनियमित रूप से छात्रों से ली गयी काशनमनी कि धनराशि संचालित फिक्स डिपोसिट एवं भिन्न- भिन्न प्रयोजन हेतु अहरित धनराशियों को संबन्धित खाता मे जमा किया जाना चाहिय था।

अतः शासनादेश का उल्लंघन करते हुये काशनमनी रु 63,300/- छात्रों से लिया जाने एवं रु 1,25,350/- का अनियमित आहरण तथा धनराशि रु 81,424/- का अक्रियशील पाया जाने का प्रकरण प्रकाश मे लाया जाता है।

भाग-III

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण:-

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या	STAN	TAN
AIR No.140/2013-14	शून्य	01,02	01,02	01.02.03.04

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
AIR No.140/2013-14	भाग-दो(ब)-01,02 STAN- 01,02 TAN- 01,02,03,04	-	-	-

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

.... शून्य ....

भाग-V

आभार

1). कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून, लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु **कार्यालय प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय थलीसैण पौड़ी गढ़वाल** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः-

अप्रस्तुत अभिलेख: विगत लेखापरीक्षा के अप्रस्तुत अभिलेख (08/2001 से 02/2004 तक, 03/2004 के रोकड़ बही, स्टॉक पंजिका 11 सी रजिस्टर, समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों की सेवापुस्तिका, जीपीएफ पुस्तिका मशीन एवं फर्नीचर क्रय संबंधित अभिलेख इत्यादि।

2). सतत् अनियमितताएः शून्य

3). लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया :

नाम	पदनाम	अवधि
डा0 सोहन लाल भट्ट	प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय **थलीसैण पौड़ी, गढ़वाल**	02.10.2011 से 10.09.14 तक
डा0 दर्शन सिंह बिष्ट (कार्यवाहक)	प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय **थलीसैण पौड़ी, गढ़वाल**	11.09.2014 से 24.09.2014
प्रो0 सुमन कुमार (कार्यवाहक)	प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय **थलीसैण पौड़ी, गढ़वाल**	25.09.2014 से 01.11.2017
डा0 लावनी रानी राजवंशी	प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय **थलीसैण पौड़ी, गढ़वाल**	02.11.2017 से अब तक

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका, उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति **कार्यालय प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय थलीसैण, पौड़ी, गढ़वाल** को इस आशय से प्रेषित कर दी गयी, जिसकी प्राप्ति के एक माह के अन्दर अनुपालन आख्या सीधे "उप-महालेखाकार/ सामाजिक क्षेत्र, कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखंड, महालेखाकार भवन, कौलागढ़, देहरादून 248195 " को प्रेषित कर दी जाय।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/सामाजिक क्षेत्र